M/C

(33)

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–1
संख्या– / /XVIII(1)/2010–3/2004
देहरादून: दिनांक: 28 जनवरी, 2011

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 में अग्रत्तर संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2010 है।
(2) यह तुरन्त लागू होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 5 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात;

स्तम्भ–1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(2)(क) चालीस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;	(2)(क) तीस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;
(ख) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; परन्तु यदि पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो उपलब्ध न हो तो पद उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है।	(ख) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; (ग) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त वन पंचायत निरीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

2–

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा वन पंचायत निरीक्षक उपलब्ध न हों तो पद उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है।

आज्ञा से,

(डॉ0 राकेश कुमार)
सचिव।

संख्या– 1160 (1)/XVIII(1)/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराकर गजट की 100 सौ प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इण्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

OATH COMMISSIONER
SECRETARIAT
DEHRADUN
Sign.
Uttarakhand High Court

Signed, Sworn & Verified before me
by Shri/Smt. Surendra Narayan Pandy
Who is identified by Shri Sunil Bijlwan

(Bhagwan Singh Kaintura)
Oath Commissioner
Secretariat, Dehradun

(Bhagwan Singh Kaintura)
Oath Commissioner
High Court of Uttarakhand
(Secretariat Dehradun)
No.3211/U H.C./Admin-B/IV
19/2015-16 Date 8-7-2016
Sl.No. 1797 ....Date.. 19-12-2016